समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

26-07-2013

आवेदक **श्री रितेश कुमार,** पिता–स्व0 रंजनधारी शर्मा, सा0+पो0–सिही, थाना–दुल्हिनबाजार, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–290/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–26.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे खेती करते हैं। वे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं। उग्रवादियों के द्वारा उन पर हमला किया गया था। ग्राम सिही स्थित झलकी सिंह उच्च विद्यालय में उग्रवादियों द्वारा रोड में काम कर रहे गाड़ी को जलाया गया था, जिसके संदर्भ में दुल्हिनबाजार थाना कांड सं0–26/10 दर्ज किया गया है। उनके पिता की हत्या उग्रवादियों द्वारा 05.10.1996 में कर दी गयी थी। उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1586/गो0, दिनांक–01.08.2010 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, दुल्हिनबाजार तथा पुलिस निरीक्षक, विक्रम अंचल, पटना के अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित तथा अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, दुल्हिनबाजार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे खेती करते हैं। आवेदक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं। वर्तमान में ग्राम सिही स्थित झलकी सिंह उच्च विद्यालय में उग्रवादियों द्वारा रोड में काम कर रहे गाड़ी को जलाया गया था, जिसके संदर्भ में दुल्हिनबाजार थाना कांड सं0–26/10 अंकित है। उनके पिता की हत्या उग्रवादियों द्वारा दिनांक–05.10.1996 में कर दी गयी थी। आवेदक के पिता के पास पूर्व से एक शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–1520/76, थाना–सिविल लाइन्स, गया, ओ0डी0 सं0–937/ 82 है, जिसपर एक एन0पी0बोर रायफल सं0–770706 धारित है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री रितेश कुमार, पिता–स्व0 रंजनधारी शर्मा, सा0+पो0–सिही, थाना–दुल्हिनबाजार, जिला–पटना को उनके

द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।